

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चुन्नीलाल

बनाम

विपक्षी : श्री भगवतीलाल व अन्य

किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 13/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी (UT कर्ता) मग विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 7, 8 अनुपस्थित। अधिवक्ता UT कर्ता द्वारा वकालत पत्र व जवाब पेश नहीं किया गया। आवजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने विपक्षी संख्या 1 से 5, 7, 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 9 का जवाब का प्रवक्ता बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुरखा सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर पक्षकारों में आये दिन विवाद होता रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण हिस्से अनुसार खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुरखा सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बांसडा पटवार हल्का बांसडा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 632 की आराजी न. 682, 691, 700, 759, 770, 773, 785, 787 किता 8 रकबा 2.3000 है, भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 631 की आराजी न. 3305/767, 781, 791 किता 3 रकबा 0.5200 है। भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

